

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी
पीठासीन अधिकारी-श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 66/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
राजू पुत्र ईशरा उम्र 73 वर्ष जाति जाट निवासी जोगासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. नगा पुत्र ईशरा 2. गिरधारी पुत्र ईशरा 3. दुर्गा पुत्र मोती 4. रायमलराम पुत्र देराजराम 5. रावताराम पुत्र देराजराम 6. भैराराम पुत्र देराजराम जाति जाट निवासी जोगासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपस्थिति-


1. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित
2. प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 25.01.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि खातेदारी भूमि खसरा संख्या 449 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 620/454 रकबा 6.0861 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 621/454 रकबा 43.0445 हैक्टेयर मौजा जोगासर पटवार मण्डल होड़ू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 19.01.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम जोगासर तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 449, 620/454, 621/454 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।



सहायक कलक्टर
सिणधरी

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	बरग
1	राजूराम पुत्र ईशराराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	621 / 454	6.1464	बा.दों.	लाल
2	गिरधारी 1/7 नगराम 1/7 पि. ईशराराम दुर्गराम पुत्र मोतीराम	449	0.0405	गै.मु.ढाणी	हरा
	4/7 भैराराम 1/21 रायमलराम	620 / 454	6.0861	बा.दो.	
	1/7 रावताराम 1/21 पि. देराजराम जाति जाट सा. देह खातेदार	621 / 454	36.8981	बा.दो.	
	योग	3	43.0247		

तहसीलदार, सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकर भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित क राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करें।

(Signature)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी